



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

Prof. Krishna Kumar Singh

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

क्रमांक : 005/2018/DA&R/01/598

दिनांक : 02.08.2018

कार्यालय आदेश

अकादमिक गतिविधियों के ढांचे में, सीबीसीएस सहित आवश्यक संशोधन हेतु व्यवस्थागत सुझावों के लिए गठित समिति की अनुशंसा तथा विद्या-परिषद की दिनांक 17.07.2018 को सम्पन्न 28वीं बैठक में अनुमोदित पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2017 के बिंदु क्रमांक 13.2 के आलोक में अकादमिक सत्र 2017-18 से पी-एच.डी. शोधार्थियों के लिए विपंजीकरण (DE-REGISTRATION) और पुनः पंजीकरण (RE-REGISTRATION) की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था सत्र 2017-18 से पूर्व प्रवेश प्राप्त तथा आवासीय अवधि/निर्धारित अवधि पूरी कर चुके शोधार्थियों के लिए भी लागू की जाती है। किंतु, निर्धारित अवधि पूरी कर चुके शोधार्थियों को किसी भी प्रकार से अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ शोधार्थी पूरी पी-एच.डी. अवधि में सिर्फ एक बार ले सकेंगे। सत्र 2014-15 में प्रवेश प्राप्त शोधार्थियों को इस सुविधा हेतु आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2019 होगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी।
4. परीक्षा विभाग।
5. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. कार्यालय प्रति।